8/11/2014

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०/बहस अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 49 ग्राम पंचायत बहामडी की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील की ओर से ओर (मुतरफा) बहस में कथन रहे कि आराजी खसरा नम्बरान 1118, 1119, 1120, 1121, 1122 वाके ग्राम बहामडी तहसील नदबई में स्थित है। जो कि साबिक खसरा नम्बर 778 मिन रकबा 2 बीघा 18 बिस्वे से बने हैं। साबिक खसरा नम्बर 778 अपीलार्थी संख्या 01 सुमेरी व अपीलार्थी संख्या 2 के पिता रतन पुत्र वनखण्डी से जरिये रजि० बयनामा क्रय किया था। क्रेता के बयनामा में रतनासिंह पुत्र वनखण्डी जाति जाटव नि० सहना तहसील रूपवास व सुमेरी पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव निवासी सहना तहसील रूपवास अंकित है। उक्त आराजी को विक्रेता देवीराम पुत्र ज्वाला जाति चमार निवासी बहामडी से क्रय किया गया था। किन्तु नामान्तरण में क्रेतागण साकिन सहना के स्थान पर साकिन बदनूर यानि बहामडी अंकित कर दिया गया है। अतः सीमाजी से निवेदन है कि मुताबिक बयनामा हाल जमाबंदी में खातेदार रतन पुत्र वनखण्डी साकिन बहामडी व सुमेरी पुत्र रामखिलाडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:03:53 IST
Reason: SelfAttested

अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साकिन बहामदी के स्थान पर रतन पुत्र वनखण्डी साकिन लहना व कुमेरो पुत्र रामाखिलाड़ी साकिन लहना अंकित करने की कृपा करें। हमने बहस को सुना गया, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि नामान्तरण के समय क्रेता के साकिन के नाम गलत दर्ज हो गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी / अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार, नदबई को प्रतिप्रेषित की जाती है कि मुताबिक बयनामा जांच कर क्रेतागण साकिन बहामदी के स्थान पर जमाबंदी में साकिन लहना दर्ज करने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली कुंवल इन्तमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:03:53 IST
Reason: SelfAttested